न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर

(निर्णय श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 340/2020 जिला टोंक

श्रीमति काली **बनाम** **श्रीमति गलोल**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.

अपीलांट के वकील श्री शोकिन्द गुर्जर द्वारा दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गये पहला प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 477/2020 में दिनांक 16.12.2020 को निर्णय पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंड द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एस0 बी0 सिविल रिट याचिका 314/2021 दर्ज करवायी है चूंकि उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील 340/2020 पर अन्तिम सुनवाई नहीं की जाये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये। प्रार्थी वकील द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 121 सी0पी0सी0 जा.दी. प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि बाबत् विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों के संबंध में दस्तावेजों को पत्रावली पर लिया जाने बाबत् प्रार्थना की है। दोनों प्रार्थना पत्रों पर बहस वही पक्ष वकील सुनी गई। रेस्पोडेंड के वकील द्वारा दस्तोवेजों को पत्रावली पर लेने में कोई आपत्ति नहीं की गई है। दस्तोवजों का अवलोकन किया गया। यह वादग्रस्त भूमि के लिए चल रहे विभिन्न प्रकरणों से संबंधित दस्तावेज है जिन्हें पत्रावली पर लिया जाना उचित है। जहां तक धारा 151 जा. दी. प्रार्थना पत्र का संबंध है वकील अपीलांट का यही कहना है कि उच्च न्यायालय राजस्थान में वकील रेस्पोडेंड स्वयं गया है और वहां पर जब तक निर्णय नहीं हो जायें या रेस्पोडेंड उक्त प्रकरण को वहां से विथड्रो नहीं कर लें जब तक इस न्यायालय में प्रकरण पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जायें। प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजो को देखा गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय में उक्त प्रकरण 314/2021 गलोल देवी बनाम काली देवी के नाम से दर्ज है। अन्तिम बार प्रकरण 19.04.2021 को लिस्टेड था रेवन्यु बोर्ड द्वारा दिनांक 16.12.2020 को निगरानी का निस्तारण करते हुए न्यायालय हाजा को यथाशीघ्र अपील निस्तारण के लिए निर्देशित किया हुआ है। वर्तमान में उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई इन्स्ट्रक्शन न्यायालय हाजा की कार्यवाही को रोकने बाबत् नही दिया गया है। अतः वाद बहस न्यायालय का यह मानना है कि वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार
किया जाता है। वकील अपीलांट द्वारा अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर

(निर्णय श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 340/2020 जिला टोंक

.....

1. श्रीमति काली पुत्री देवा पत्नि ग्यारसा जाति गुर्जर, निवासी ग्राम–कुरावदा, हाल निवासी ग्राम–सीतापुरा–चुराहा, तहसील निवाई, जिला टोंक राज0।
2. श्रीमति ममता पुत्री देवा पत्नि कैलाश जाति गुर्जर, निवासी ग्राम–कुरावदा, हाल निवासी ग्राम–सीतापुरा–चुराड़ा, तहसील निवाई, जिला टोंक राज0।
3. श्रीमति कमला पुत्री देवा पत्नि नाथू जाति गुर्जर, निवासी ग्राम–कुरावदा, हाल निवासी ग्राम–सीतापुरा–चुराडा, तहसील निवाई, जिला टोंक राज0।
4. श्रीमति फौरन्ता पुत्री देवा पत्नि उदा जाति गुर्जर, निवासी ग्राम–कुरावदा, हाल निवासी ग्राम–अणदपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर राज0।

———अपीलांटस

बनाम्

1.श्रीमति गलोल पुत्री देवा जाति गुर्जर, निवासी ग्राम–कुरावदा, तहसील निवाई, जिला टोंक राज0।

2.कालूराम पुत्र देवाराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम–कुरावदा, तहसील निवाई, जिला टोंक राज0।

3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय निवाई, जिला टोंक।

4.राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार महोदय दत्तवास, तहसीलदार निवाई, जिला टोंक।

5.हल्का पटवारी ग्राम–कुरावदा, तहसील निवाई, जिला टोंक राज0।

———रेस्पोडेन्टस

–अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय निवाई, जिला टोंक जो दिनांक 09.10.2020 (संशोधन 13.10.2020) को प्रकरण संख्या 14/2020 बउनावानी ''पटवारी हल्का बनाम कालूराम वर्गेह'' में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

अभिभाषक अपीलांट (1 से 4)–शोकिन्द लाल गुर्जर

रेस्पो0 अभिभाषक (1 एवं 2)–समीर अहमद

रेस्पो0 नं (3 से 5)–राजकीय अभिभाषक

———————

निर्णय दिनांक–29.12.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुरावदा तहसील निवाई जिला टोंक के खसरा संख्या 134/128 रकबा 5 बीघा भूमि का खातेदार देवा पुत्र कल्याण गुर्जर है। देवा की पुत्री गलोल द्वारा भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 20.05.2009 को अपने नाम करवा लिया तथा दिनांक 03.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कालूराम को विक्रय कर दिया। अपीलांट को जानकारी होने पर सहायक कलक्टर (फास्ट्रेक) निवाई न्यायालय में एक पत्र और 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो विचाराधीन है।वाद वास्ते उद्घघोषणा खातेदारी दुरूस्ती, इन्द्राज

Signature Not Verified
Digitally Signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:07 IST
Reason: Self Attested

दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत प्रार्थीगण अपीलांट के द्वारा एक आवेदन उपखण्ड अधिकारी निवाई के समक्ष भी प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया तथा तहसीलदार को नामांतकरण की कार्यवाही नहीं करने बाबत् आदेश दिया गया। तहसीलदार निवाई द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.10.2020 (संशोधन 13.10.2020) द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक करने का आदेश प्रदान किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील इस न्यायालय में प्राप्त होने पर क्षेत्राधिकार के बिन्दुओ पर जांच के बाद अपील इस न्यायालय में सुनवाई हेतु योग्य पाई गई। अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब कर प्राप्त किया गया। रेस्पो0 न0 1 व 2 की ओर से अभि0 उपस्थित हुए तथा रेस्पो0 न0 3,4,5 की ओर से सरकारी अभि0 उपस्थित हुए।

अपीलांट द्वारा अपील धारा 96 सीपीसी के साथ एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी के खातेदार देवा पुत्र कल्याण गुर्जर उनके पिता है अतः उक्त भूमि उनका हित निहित है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाये। इसके साथ ही इसके समर्थन में एक शपथ पत्र भी दिया गया है।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस सुनी गई। एवं प्रस्तुत अपील एवं दस्तावेजो के अवलोकन के बाद यह माना कि अपीलांट काली, ममता, कमला एवं फोरन्ता तथा रेस्पो0 न0 1 (गलोल) देवा पुत्र कल्याण जाति गुर्जर की पुत्रीया है। एवं विवादित आराजीयात में प्रभावित पक्षकारान होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार करके अपील प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये।

अपील मीमो के अनुसार अपील मियाद अवधि के अन्तर्गत ही प्रस्तुत की गई है। अतः धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आदेश दिनांक 09.10.2020 का है। तथा अपीलांट के द्वारा दिनांक 02.11.2020 को ही अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी गई है। स्पष्ट है कि अपील मियाद के अन्दर ही प्रस्तुत कर दी गई।

वकील अपीलांट द्वारा स्थगन आदेश की मांग की गई थी जिससे सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमियों के संदर्भ में एक वाद न्यायालय ए0सी0एम निवाई (फास्ट–ट्रेक) विचाराधीन होने से सब जुडिस स्थिति होने के आधार पर खारिज कर दिया गया।

अपीलांट द्वारा यह कथन भी किया गया है कि वह एक आवश्यक पक्षकार था लेकिन तहसीलदार निवाई द्वारा बिना सुनवाई किये ही निर्णय कर दिया। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिपोर्ट दिनांक 07.10.2020 को नजर अंदाज किया गया है जिसमें यह अंकित है कि वादग्रस्त भूमि के 4 बीघा हिस्से में अपीलांट काबिज थे फिर भी विवादग्रस्त फैसला दिया गया।

बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई वकील अपीलांट के अनुसार विवादित आराजियात 134/28, 5 बीघा ग्राम कुरावदा तहसील निवाई, जिला टोंक। देवा के नाम आवंटन की गई थी। देवा के कोई पुत्र नहीं है। पांच पुत्रीया है। शादी के बाद गलोल अपने पिता देवा के पास आ गई। तथा पहले भूमि गलोल ने अपने नाम करवायी बाद में गलोल ने उक्त भूमि रेस्पो0 न0 2 को विक्रय कर दी। रेस्पो0 2 जब काश्त करने आया तब विवाद हुआ। साथ ही यह कहा कि उनके द्वारा निवाई के सहायक कलक्टर न्यायालय में एक दावा और टी0आई0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था लेकिन उसमें कोरोना के चलते हुए कोई कार्यवाही नहीं की गई दिया गया। उसके बाद उपखण्ड अधिकारी के द्वारा एक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया जिसमें तहसीलदार को पाबंद किया था कि उसमें कोई अग्रिम कार्रवाही नहीं करें। मगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.0[illegible] 10:45:07 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार द्वारा दिनांक 09.10.2020 को नामांतकरण खोलने बाबत् आदेश जारी कर दिया गया। पटवार हल्का रिपोर्ट 07.10.2020 के अनुसार ''**उपस्थित मौत विरान लोगो से पूछताछ करने पर पाया कि उक्त भूमि पर ममता,कमला,फोरन्ता पुत्रीया देवा जाति गुर्जर निवासी कुरावदा ने लगभग 4 बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा है तथा रेस्पो0 का कोई कब्जा नहीं था तथा यह विवादित प्रकरण था। एक बीघा भूमि खाली पड़ी है तथा काली, ममता, कमला, फोरन्ता पुत्रीया देवा गुर्जर ने मौके पर टिनसैन तथा छप्पर भी बना रखा है तथा कब्जे वाली भूमि पर जोत निकाल रखी है तथा मौके पर विवाद की स्थिति है।**'' आवश्यक पक्षकारों को सुनकर निर्णय करना होता है। हमें नहीं सुनते हुए निर्णय कर दिया तथा हमें नोटिस भी नही दिया गया। और प्रोसिडिंग में हमारे हस्ताक्षर भी नहीं है। डी0 जे0कोर्ट टोंक में उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाने बाबत् कार्रवायी विचाराधीन है। एक रेगुलर राजस्व वाद 9/2020 भी विचाराधीन है।

वकील रेस्पो0 के अनुसार देवा को आवंटन से भूमि प्राप्त हुई है। जो पुश्तैनी भूमि नहीं मानी जा सकती है। सन् 2009 में देवा द्वारा गलोल को भूमि विक्रय की गई तथा गलोल द्वारा रेस्पो0 न0 2 कालूराम को भूमि विक्रय (दिनांक 18.03.2020) की गई। आपत्तिकर्ता को नोटिस नहीं जायेगा। यदि आपत्ति नहीं सुनी गई तो जिला कलक्टर के यहां अपील होगी।

वकील अपीलांट द्वारा रक्षादेवी बनाम पशुपतिनाथ आर0बी0जे0(11) 2004 पेज 611, दुर्गा प्रसाद बनाम् पन्ना व अन्य आर0आर0डी 1952 पेज 488, गुरूद्वारा साहिब सिंहवाला बनाम् श्रीमति सुजान कौर एवं अन्य (हाईकोर्ट) आरआरटी 2003 पेज 647 ,सुप्रीम केसेज(1996) स्वर्णी बनाम् इन्द्र कौर व अन्य पेज 223, श्यामसुन्दर बनाम् कांतिबाई आरबीजे 2002 पेज 581,हाईकोर्ट केस जेठुसिंह बनाम् भंवरसिंह आरआरटी 2003 पेज 651 प्रस्तुत किए गए। वकील रेस्पो0 आरआरडी 1992 पेज 611 का साइटेशन उल्लेखित किया।

<u>रक्षादेवी बनाम पशुपतिनाथ आर0बी0जे0(11) 2004 पेज 611</u>— उक्त प्रकरण में यह निर्धारित किया गया है कि गोद या वसीयत से विरासत के प्रकरण में मात्र नामांतकरण की कार्यवाही से कोई टाइटल प्राप्त नहीं कर सकता है।

<u>दुर्गा प्रसाद बनाम् पन्ना व अन्य आर0आर0डी 1952 पेज 488</u>—नामांतकरण मात्र एक फिस्कल कार्यवाही है जिससे अधिकार सृजित नहीं होते है।

<u>गुरूद्वारा साहिब सिंहवाला बनाम् श्रीमति सुजान कौर एवं अन्य (हाईकोर्ट) आरआरटी 2003 पेज 647</u>—इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि नामांतकरण एक फिस्कल कार्यवाही है तथा राजस्व रिकोर्ड में बदलाव से पक्षकारों को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है बल्कि इससे नई मुकदमेबाजी बढती है।

<u>(1996)6 सुप्रीम कोर्ट केसेज स्वर्णी बनाम् इन्द्र कौर व अन्य पेज 223</u>—इस प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 3 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के सेक्शन 374,381 तथा हिन्दु विधि में वसीयत बाबत् विवेचन किया गया है।

<u>श्यामसुन्दर बनाम् कांतिबाई आरबीजे 2002 पेज 581</u>— विधि के विवादित प्रश्न नामांतकरण कार्यवाही से निर्णित नहीं किये जा सकते है। क्योंकि नामांतकरण कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है।

<u>हाईकोर्ट केस जेठुसिंह बनाम् भंवरसिंह आरआरटी 2003 पेज 651</u>—इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि नामांतकरण कोई स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। कठिन विषय में उत्तराधिकार वसीयत गोद [illegible] मात्र नामांतकरण की कार्यवाही से

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:07 IST
Reason: SelfAttested

लाभ नहीं होगा। अपितु पक्षकारो को स्वामित्व स्थापित करने के लिए उचित संस्थाओं में जाना होगा।

हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। मौखिक बहस के बिन्दुओ पर मनन किया गया। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साइटेशन पर विवेचन किया गया जो निम्नानुसार है–

रक्षादेवी बनाम पशुपतिनाथ आर0बी0जे0(11) 2004 पेज 611– उक्त प्रकरण में यह निर्धारित किया गया है कि गोद या वसीयत से विरासत के प्रकरण में मात्र नामांतकरण की कार्यवाही से कोई टाइटल प्राप्त नहीं कर सकता है।

वर्तमान प्रकरण में गोद का कोई विषय नहीं है अपितु रजिस्टर्ड सैल डीड से भूमि विक्रय के बाद विवाद का विषय है। अतः उक्त साइटेशन वर्तमान प्रकरण में चस्पा नहीं होता है।

दुर्गा प्रसाद बनाम् पन्ना व अन्य आर0आर0डी 1952 पेज 488–नामांतकरण मात्र एक फिस्कल कार्यवाही है जिससे अधिकार सृजित नहीं होते है।

उक्त प्रकरण में दुर्गालाल द्वारा पन्नालाल से भूमि और कुआं रजिस्टर्ड सैल डीड से क्रय किया गया था। मगर दुर्गालाल के पक्ष में न तो नामांतकरण खोला गया और न ही उसे कब्जा करने दिया गया। दुर्गालाल द्वारा एस0डी0ओ ब्यावर एवं आर0ए0ए अजमेर में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय अपील की गई जिन्हें खारिज कर दिया गया। राजस्व मण्डल के द्वारा द्वितीय अपील में न्यायालय द्वारा एस0डी0ओ ब्यावर एवं आर0ए0ए अजमेर के निर्णय खारिज कर किये गये। तथा दुर्गाप्रसाद के पक्ष में डीक्री की गई तथा पन्नालाल को अतिक्रमी मानते हुए इसे हटाने का आदेश दे दिया गया। वर्तमान प्रकरण में यह स्थिति नहीं है। यहां पर विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण खोलने बाबत् आदेश दिया जा चुका है। अतः उक्त प्रकरण में यह साइटेशन लागू नहीं होता है।

गुरूद्वारा साहिब सिंहवाला बनाम् श्रीमति सुजान कौर एवं अन्य (हाईकोर्ट) आरआरटी 2003 पेज 647–इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि नामांतकरण एक फिस्कल कार्यवाही है तथा राजस्व रिकोर्ड में बदलाव से पक्षकारों को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है बल्कि इससे नई मुकदमेबाजी बढती है।

उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट गुरूद्वारा है तथा उसका यह कहना है कि संवत 2015–18 में उक्त भूमि गुरूद्वारा के नाम पर थी तो यह किस प्रकार से तारासिंह और उसके बाद में उनके वारिसान के नाम हुई। उक्त प्रकरण में यह माना गया था कि तहसीलदार द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के भूमि का नामांतकरण खोल दिया था जबकि अधिकार ग्राम पंचायत को था। तथा यह तय किया गया कि अधिकार और टाइटल के मामलो में वादपत्र के माध्यम से ही कार्यवाही की जाये।

वर्तमान प्रकरण में उक्त साइटेशन लागू नहीं होता है। चूंकि विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेची गई है।

सुप्रीम कोर्ट केसेज(1996) स्वर्णी बनाम् इन्द्र कौर व अन्य पेज 223–इस प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 3 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के सेक्शन 374,381 तथा हिन्दु विधि में वसीयत बाबत् विवेचन किया गया है। उक्त प्रकरण में उत्तराधिकार और वसीयत से संबंधित विवादित विषय थे जबकि वर्तमान प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है। अतः उक्त प्रकरण में यह साइटेशन लागू नहीं होता है। क्योंकि वर्तमान प्रकरण में विरासत और वसीयत संबंधित कोई मुद्दा नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2024.10.10 10:45:07 IST
Reason: SelfAttested

श्यामसुन्दर बनाम् कांतिबाई आर0जे0 2002 पेज 381– विधि के विवादित प्रश्न नामांतकरण कार्यवाही से निर्णित नहीं किये जा सकते है। क्योकि नामांतकरण कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है।

उक्त प्रकरण में खातेदार की मृत्यु के बाद उसको लाऔलाद बताकर शेष सहखातेदारो के नाम भूमि का नामांतकरण कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर खातेदार की पुत्री ने एस डी ओ के यहां प्रथम अपील की जिसे स्वीकार कर लिया गया तथा नामांतकरण खारिज करते हुए मृतक की पुत्री का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया। इसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने ए डी सी न्यायालय कोटा में प्रस्तुत की गई अपील को खारिज कर दिया गया। वर्तमान निगरानी राजस्व मण्डल में सुनी जाकर खारिज की गई है। वर्तमान प्रकरण में उक्त साइटेशन लागू नही होता है। क्योकि यहां विरासत से नामांतकरण नहीं खोला गया है। अपितु विक्रय पत्र के आधार पर खोले जाने बाबत् आदेश दिया गया है।

<u>हाईकोर्ट केस जेठुसिंह बनाम् भंवरसिंह आरआरटी 2003 पेज 651</u>–इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि नामांतकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। कठिन विषय में उत्तराधिकार वसीयत गोद में मात्र नामांतकरण की कार्यवाही से लाभ नहीं होगा। अपितु पक्षकारो को स्वामित्व स्थापित करने के लिए उचित संस्थाओं में जाना होगा।

उक्त प्रकरण में खातेदार की मृत्यु के बाद गोद के आधार पर नामांतकरण किया गया था। जिससे नाराज होकर अन्य भंवरसिंह, अर्जुनसिंह द्वारा अपील की गई थी कि वसीयत उनके पक्ष में पूर्व में मृतक खातेदार सुगनसिंह द्वारा की गई थी। अपील कोर्ट द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया। द्वितीय अपील ए डी सी (उपनिवेशन) सहआरएए यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होने से सब जुड़िस है इससे निराश होकर भंवरसिंह व अन्य द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में रिविजन प्रार्थना पत्र लगाया था जिससे खारिज कर दिया गया। बाद में पुनः रिव्यू प्रार्थना पत्र लगाया गया। जो भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद हाईकार्ट में उक्त सिविल रिट पिटिशन लगाई गई तथा उक्त पिटिशन को भी हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया तथा यह माना गया कि गोद और वसीयत से विरासत से संबंधित मामले सक्षम न्यायालय में ही प्रस्तुत किये जाकर निर्णित हो। मात्र नामांतकरण के आधार पर ऐसे प्रश्नो का निपटारा नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान प्रकरण में गोद और वसीयत से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है अपितु यह रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बाद नामांतकरण निर्णय का मुद्दा है।

मौखिक बहस के बिन्दुओं पर भी मनन किया गया, वकील अपीलांट का मानना है कि भूमि स्वअर्जित नहीं है जबकि वकील रेस्पो0 का मानना है कि भूमि देवा पुत्र कल्याण को आवंटन होने से स्व अर्जित मानी जाएगी।

पत्रावली के समग्र अवलोकन दस्तावेजो के अध्ययन मौखिक बहस के बिन्दुओं एवं उपलब्ध करवाये गये साइटेशन पर मनन किया गया। मुख्य विवाद इस बात का है क्या देवा पुत्र कल्याण अपनी भूमि जो उसे आवंटन से प्राप्त हुई है को विक्रय कर सकता है अथवा नहीं। भूमि चूंकि देवा के नाम से ही आवंटित हुई है। अतः भूमि देवा द्वारा स्व अर्जित ही मानी जाएगी एवं देवा द्वारा ही भूमि अपनी पुत्री गलोल को विक्रय की है। तथा गलोल द्वारा रेस्पो0 न0 2 कालूराम को विक्रय की है। वकील अपीलांट ने मौखिक बहस में बताया है कि गलोल अपने पीहर में अपने पिता के पास ही रहती है। साथ ही यह भी बताया है कि उनके द्वारा डी0जे0 न्यायालय टोंक में रजिस्ट्री निरस्तीकरण हेतु दावा प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है।

तहसीलदार निवाई के दिए हुए आदेश के विरुद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में स्टे बाबत् निवेदन किया है। जो खारिज कर दिया है इससे रूष्ट होकर वकील अपीलांट द्वारा सैक्शन 9 में रेवन्यु बोर्ड से [illegible] सुनवाई तक स्टे मांगा गया। रेवन्यु बोर्ड द्वारा रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बाबत् आदेश दिनांक 16.12.20 को दिया गया था बहस सुनी जाकर रेवन्यु बोर्ड द्वारा उचित निर्णय हेतु प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा में भेजा गया। रेवन्यु बोर्ड के आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 हाईकोर्ट में । एसबी सिविल रीट याचिका संख्या 314/2021 प्रस्तुत की गयी है। इन्हीं बातो के आधार पर आगे वकील श्री शोकिन्द लाल गुर्जर (अपीलांट अभि0) द्वारा न्यायालय हाजा में अंतिम बहस में सुनवाई के आरम्भ में दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये पहला प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चूंकि प्रकरण एसबी सिविल रीट याचिका संख्या 314/2021 श्रीमती गलोल के नाम से जैर कार होने से प्रकरण में अंतिम में अंतिम सुनवाई नहीं की जाये। अपने कथन की पुष्टि में एक अन्य प्रार्थना आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर न्यायालय कार्यवाही संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये।

न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रो की सुनवाई करते हुए आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत दस्तावेज पत्रावली पर लिये गये मगर प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी (अंतिम निर्णय पर नही पहुंचने बाबत्) खारिज करते हुए पत्रावली पर अंतिम बहस सुनी गई।

बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य/मौखिक बहस के बिन्दुओं पर मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि क्या भूमि देवा द्वारा स्व अर्जित है अथवा नहीं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि देवा पुत्र कल्याण को अकेले आवंटित हुई थी। अतः उक्त भूमि देवा द्वारा स्व अर्जित भूमि ही मानी जायेगी। ए0सी0एम न्यायालय निवाई द्वारा दिनांक 17.08.2021 को प्रकरण संख्या 7/2020 में प्रार्थना पत्र काली बनाम् गलोल में 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए वाद बहुलता रोके जाने हेतु रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया गया है। न्यायालय हाजा का यह भी मानना है कि चूंकि प्रकरण रजिस्ट्री निरस्तीकरण हेतु डी0जे0 कोर्ट टोंक में भी विचाराधीन है। तथा रजिस्टी निरस्त नहीं होने तक अपीलांट को कोई लाभ राजस्व न्यायालय से नहीं मिल सकता है। साथ ही उक्त प्रकरण में न्यायालय का यह भी मानना है कि रजिस्ट्री के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार मात्र नामांतकरण खोलने बाबत् आदेश दिया गया था। कोई नामांतकरण रेस्पो0 2 के पक्ष में खोले जाने बाबत् दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी मौका पर्चा दिनांक 07.10.2020 की रिपोर्ट को बयानो के आधार पर परखा नहीं गया है। जो अधीनस्थ न्यायालय में ही किया जा सकेगा। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साईटेशन भी वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते है। साथ ही जब तक सिविल कोर्ट से रजिस्ट्री खारिज नहीं हो जाती है तब तक राजस्व न्यायालय कोई अनुतोष अपीलांट को नहीं दे सकता है। प्रकरण वर्तमान में विस्तृत ट्राइल हेतु अधीनस्थ न्यायालय फास्ट्रेक सहायक कलक्टर निवाई में चल रहा है। जहां पर पक्षकार अपने अधिकार की बात तय करा सकते है। अतः न्यायालय इस अपील को सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझता है।

-:कियात्मक आदेशः-

द्वितीय अपील द्वारा अपीलांट वास्ते ग्राम कुरावदा तहसील निवाई जिला टोंक के खसरा संख्या 134/128 रकबा 5 बीघा सारहीन होने से खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:07
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 29.12.2021 को मेरे [illegible]खवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर